मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक: 31 /7/2015

आ दे श

क्र: एफ 16-4/2015/बी-ग्यारह: राज्य शासन टेक्सटाइल परियोजनाओं हेतु स्वीकृत पुनरीक्षित विशेष पैकेज, 2012 तथा उद्योग संवर्धन नीति, 2014 में कतिपय विसंगतियों के निराकरण हेतु उद्योग संवर्धन नीति, 2014 की कण्डिका क्रमांक 3.4 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करता है-

1. उद्योग संवर्धन नीति, 2014 की कंडिका 3 पात्रता सम्बंधी प्रावधान की कंडिका 3.4 में उल्लेखित प्रावधान "उद्योग संवर्धन नीति (IPP), 2010 की समापन तिथि से एक वर्ष के अन्दर (अर्थात 31 अक्टूबर, 2016 तक) वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ करने वाली इकाइयों को वर्तमान नीति या आईपीपी 2010 के तहत प्रोत्साहनों का पैकेज चुनने की स्वतंत्रता होगी; तथापि एक बार विकल्प चुनने के बाद इसे बदला नहीं जा सकेगा;" को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"उद्योग संवर्धन नीति (IPP), 2010 की समापन तिथि से एक वर्ष के अन्दर (अर्थात 31 अक्टूबर, 2016 तक) वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ करने वाली इकाइयों को वर्तमान नीति या आईपीपी 2010 के तहत प्रोत्साहनों का पैकेज चुनने की स्वतंत्रता होगी; तथापि एक बार विकल्प चुनने के बाद इसे बदला नहीं जा सकेगा। लाभ लेने का विकल्प/चुनाव का प्रावधान टेक्सटाइल परियोजनाओं के लिए लागू नहीं किया जाएगा।"

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मोहम्मद सुलेमान)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

क्रमांक एफ 16-4/2015/बी-ग्यारह **भोपाल, दिनांक 31.07.2015**

प्रतिलिपि,

1. उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लि./एमपी स्टेट इन्डस्ट्रियल डेव्हलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लि, भोपाल।

    की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. नियंत्रक शासन, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर राजपत्र में प्रकाशनार्थ।

(व्ही.के. बरोनिया)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग